



भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)

File No. BST/36/2017/STGMP/DEOTH/RU-III

छठा तल, "बी" विंग, लोकनायक भवन,
खान मार्केट,
नई दिल्ली-110003
दिनांक: 03/07/2018

सेवा में,

1. अपर मुख्य सचिव,
वित्त विभाग,
मध्य प्रदेश शासन,
वल्लभ भवन, भोपाल,
(मध्य प्रदेश)

विषय: कथित रूप से आपराधिक षडयंत्र कर आवेदक की पेंशन रोके जाने बाबत—श्री बी.एस.ठाकुर, सेवा निवृत्त सहायक संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा, वित्त विभाग म.प्र. शासन, म.नं. 613, लालमाटी सिद्धबाबा रोड, हनुमान होटल, चौक के पास, जबलपुर (मध्य प्रदेश) का दिनांक 29.09.2017 का अभ्यावेदन।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय पर आयोग के समसंख्यक सीटिंग नोटिस दिनांक 25/06/2018 का संदर्भ ग्रहण करें। इस संदर्भ मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जो सीटिंग 05.07.2018 को 13.00 बजे होने वाली थी अब वह 12.07.2018 को 12.00 बजे निर्धारित की गई है।

निर्देशानुसार, आपसे अनुरोध है कि सभी दस्तावेजों के साथ निर्धारित तिथि और समय पर बैठक में स्वयं उपस्थित होने का कष्ट करें अथवा विभाग के सचिव स्तर के अधिकारी, जो विषय पर जानकारी रखते हों तथा निर्णय लेने में सक्षम हों, को भेजें। कृपया बैठक हेतु संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा अथवा उनके अधीनस्थ किसी अधिकारी को न भेजा जाए।

भवदीय

(आर. के. दुबे)

सहायक निदेशक

दूरभाष-24601346

dc

5102-03
3/7/18

प्रतिलिपि:

श्री बी.एस.ठाकुर, सेवा निवृत्त सहायक संचालक,
स्थानीय निधि संपरीक्षा, वित्त विभाग म.प्र. शासन,
म.नं. 613, लालमाटी सिद्धबाबा रोड, हनुमान होटल,
चौक के पास, जबलपुर (मध्य प्रदेश)

जारी किया
दिनांक 03/07/18